

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
अधिसूचना

पटना/दिनांक 28/08/2025

सं०सं०-01/रा.स्था.(एम.ए.सी.पी.)-67/2025 सह. 4437 श्री सुभाष कुमार, सदस्य, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण, पटना के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या-1645, दिनांक-03.06.2020 के द्वारा संसूचित निन्दन के दण्ड को विभागीय अधिसूचना संख्या-351, दिनांक-06.02.2024 द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या-2471, दिनांक-08.09.2021 के द्वारा दिनांक-01.04.2021 के प्रभाव से प्रदत्त प्रथम एम.ए.सी.पी. के लाभ को दिनांक-28.06.2017 के प्रभाव से संशोधित किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(स्मृति कुमारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक/पटना, दिनांक

01/रा.स्था.(एम.ए.सी.पी.)-67/2025 सह.

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/
सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 4437/पटना, दिनांक 28/08/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आशुलिपिक/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (प्रशासनिक एवं अंकेक्षण), बिहार/सभी सम्बंधित पदाधिकारी/विभागीय आई०टी० मैनेजर को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1
(1/1)
28-08-2025

सरकार के उप सचिव।